

प्रमाण - प्रमाण

वाइकान् स्कूल-मोरायपुर  
वाइकान् स्कूल-मोरायपुर

विषय: निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।



महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 30.06.2011 के सदन में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं वाइकान् स्कूल-मोरायपुर/वाइकान् विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2011 से 2014 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा 1 से 4 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25/100 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूल के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उराके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के नामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सांसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चों को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी (प्रारंभिक) शिक्षा पूर्ण



### विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संख्या, पाठ्यक्रम

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित का क्षेत्र

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद के उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त

कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास

के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन

रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी

निकायों द्वारा चलाया जा रहा है।

विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ

के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त करने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा-

1. उम्मीदवार को आवेदन करने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा-

अभ्यासिका/अभ्यासिका के आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा-  
1. उम्मीदवार की फोटो (आकार 2.5x3.5 सेंटीमीटर) का एक प्रतिलिपि।  
2. उम्मीदवार की वर्तमान पद की प्रतिलिपि।  
3. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।  
4. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

5. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

6. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

7. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

8. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

9. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

10. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

11. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

12. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

13. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

14. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

15. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

16. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

17. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

18. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

19. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।

20. उम्मीदवार की वर्तमान वेतनी प्रतिलिपि।





13 विद्यालयों के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए। उसको द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुकूल तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आयके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक M/S.413 है। कृपया इस नाम पर ले ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी मत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनसूचनाय नर अनुरोधित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के रूप निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कराने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए संन्यायों के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, चारि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए। नवतम परिशिष्ट तौर के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

टीप - स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कंगक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

सूया क / मान्यता / नवीनीकरण / 2011 / 4772  
प्रतिलिपि

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  
दरभंगा

को सूचनाएं

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
राजपुर (बंग.)

राजपुर, दिनांक 20/01/2011



Pankaj Das

जिला शिक्षा अधिकारी  
राजपुर (बंग.)

81